सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

भाद्र 31, गुरुवार, शाके 1933–सितम्बर 22, 2011

Bhadra 31, Thursday, Saka 1933–September 22, 2011

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 2011

संख्या प. 2(35) विधि/2/2011:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय (नाम परिवतन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 24)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करने और राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय अधिनियम, **2002** म कतिपय संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठव वष म राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय (नाम परिवतन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय का नाम परिवतन.-(1) राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15), जिसे इसम आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से "डा. सवपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय, जोधपुर" होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि म या किसी भी अनुबंध, लिखत या अन्य दस्तावेजों म राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय के प्रति किये गये किसी भी निदश को इस अधिनियम द्वारा उसके यथापरिवर्तित नाम से उस विश्वविद्यालय के प्रति निदश के रूप म पढ़ा और अथान्वित किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम म की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निर्गमित प्रास्थिति की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

3. संशोधन.-(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम अनुसूची म विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति से संशोधित हो जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबंध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

4. मूल अधिनियम का प्रोद्धरण.- मूल अधिनियम को डा. सवपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 के रूप म प्रोद्धृत किया जायेगा।

अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

धारा 1.- उप-धारा (1) म**,** विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय अधिनियम” के स्थान पर अभिव्यक्ति “डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम” प्रतिस्थापित की जायेगी।

धारा 2.- खण्ड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा**,** अथात्:-

"(ढ) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन गठित डा. सवपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय, जोधपुर अभिप्रेत है;"।

धारा 3.- उप-धारा (1) म, विद्यमान अभिव्यक्ति “"राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय"” के स्थान पर अभिव्यक्ति “‘‘डा. सवपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुवद विश्वविद्यालय, जोधपुर’’” प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 22, 2011

No. F. 2(35) Vidhi/2/2011.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Ayurved Vishwavidhyalaya (Nam Parivartan) Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 24):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY (CHANGE OF NAME) BILL, ACT, 2011

(Act No. 24 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 21st day of September, 2011]

An

Act

to change the name of the Rajasthan Ayurved University and to make certain amendments in the Rajasthan Ayurved University Act, 2002.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Ayurved University (Change of Name) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. Change of name of the Rajasthan Ayurved University.- (1) The name of the Rajasthan Ayurved University incorporated under the Rajasthan Ayurved University Act, 2002 (Act No. 15 of 2002), hereinafter referred to as the principal Act,

shall, as from the date of commencement of this Act, be "The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur".

(2) Any reference to the Rajasthan Ayurved University in any law for the time being in force or in any indenture, instrument or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

(3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.

3. Amendment.- (1) As from the date of commencement of this Act, the principal Act shall stand amended to the extent and in the manner specified in the Schedule.

(2) The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2.

4. Citation of the principal Act.- The principal Act may be cited as The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002.

THE SCHEDULE

(See section 3)

Section 1.- In sub-section (1), for the existing expression "the Rajasthan Ayurved University Act", the expression "the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act" shall be substituted.

Section 2.- For clause (n), the following clause shall be substituted, namely :-

"(n) **'University'** means the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur constituted under this Act;".

Section 3.- In sub-section (1), for the existing expression " 'The Rajasthan Ayurved University' ", the expression "The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur" shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

4

Government Central Press, Jaipur.